जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
(जन–सम्पर्क अनुभाग)
(प्रेस विज्ञप्ति)

सुरक्षित बिजली अभियान

प्रदेश में 54 हजार से अधिक हाई रिस्क प्वाइन्ट्स चिन्हित
हाई रिस्क प्वाइन्ट्स पर सुधार का सत्यापन सरपंच व पार्षदों द्वारा

जयपुर, 17 मई। सुरक्षित बिजली अभियान के दौरान सुधार के लिए डिस्कॉम अभियन्ताओं द्वारा किए गए सर्वे में प्रदेशभर में सुधार के लिए करीब 54 हजार से अधिक हाई रिस्क प्वाइन्ट्स चिन्हित किए है। अभियान के अन्तर्गत चिन्हित प्वाइन्ट्स पर सुधार कार्य कर प्रदेश के विद्युत वितरण तंत्र को सुरक्षित बनाया जाएगा। इसके साथ ही पहली बार यह व्यवस्था की गई है कि डिस्कॉम द्वारा चिन्हित किए गए हाई रिस्क प्वाइन्ट्स व इन पर किए गए सुधार कार्य का सरपंच एवं पार्षदों से सत्यापन करवाया जाएगा।

ऊर्जा राज्य मंत्री श्री पुष्पेन्द्र सिंह ने बताया कि डिस्कॉम के अभियन्ताओं द्वारा किए गए सर्वे में विद्युत सुरक्षा के लिए संवेदनशील लगभग 54497 स्थानों को चिन्हित किया है। चिन्हित किए गए हाई रिस्क प्वाइन्ट्स में सर्वाधिक **जोधपुर डिस्कॉम** में 25734, **जयपुर डिस्कॉम** में 22232 प्वाइन्टस एवं सबसे कम 6531 **अजमेर डिस्कॉम** में चिन्हित किए गए है। उन्होंने बताया कि अभियन्ताओं द्वारा 33/11 केवी वितरण तंत्र, एल.टी. सिंगल फेज व थ्री फेज लाईनों, केबिलों, पिलर बॉक्स, एल.टी. फ्यूज सिस्टम की जांच कर सुरक्षा के लिए खतरनाक स्थानों को चिन्हित किया गया है। इन स्थानों पर आवश्यक सुधार कार्य कर विद्युत दुर्घनाओं की सम्भावनाओं को निर्मूल करने के प्रयास किए जाएगें।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह ने बताया कि 15 जून, 2016 तक चलने वाले सुरक्षित बिजली अभियान के दौरान आमजन एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि भी डिस्कॉम द्वारा चिन्हित हाई रिस्क प्वाइन्ट्स अलावा अन्य स्थान जो कि विद्युत सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील हो तो उसकी सूचना डिस्कॉम के केन्द्रीकृत कॉल सेन्टर के टोल फ्री नम्बर पर दे सकते हैं। डिस्कॉमवार टोल फ्री नम्बर जयपुर डिस्कॉम 18001806507, अजमेर डिस्कॉम 18001806565 व जोधपुर डिस्कॉम 18001806045 पर दर्ज करवाई गई शिकायत पर भी अभियान के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

ऊर्जा राज्य मंत्री ने बताया कि पहली बार इस तरह की व्यवस्था की गई है कि चिन्हित किए गए स्थानों पर किए गए सुधार कार्य का सत्यापन सम्बन्धित क्षेत्र के सरपंच एवं पार्षदों द्वारा करवाया जाएगा। इसके लिए डिस्कॉम के कनिष्ठ अभियन्ताओं को पाबन्द किया गया है कि वे अपने क्षेत्र में चिन्हित किए गए हाई रिस्क प्वाइन्ट्स की सूचना सरपंच व पाषदों को उपलब्ध करवाएगें तथा सुधार कार्य पूर्ण होने पर सम्बन्धित सरपंच व पार्षद के हस्ताक्षर करा कर रिपोर्ट 15 जून, 2016 तक सहायक अभियन्ता को प्रस्तुत करगें।

श्री सिंह ने कहा कि आम नागरिक भी दुर्घटना सम्भावित स्थानों की पहचान में सहयोग करने के साथ ही बिजली के खम्बे, वितरण बॉक्स, एवं अर्थिंग वायर से छेड़छाड़ का प्रयास न करें, लाईनों के नीचे निर्माण कार्य न करें, विद्युत प्रवाह बन्द किए बिना घर में स्थापित किसी भी उपकरण पर मरम्मत का कार्य न करें तथा विद्युत ट्रांसफार्मर, पिलर बॉक्स, एवं पोल को टेंट लगाने व पशुओं को बांधने के काम में न लेवें। इसके साथ ही टूटे बिजली का तार व पोल, टेड़े पोल या कहीं स्पार्किंग हो रही हो तो उसकी सूचना डिस्कॉम के कॉल सेन्टर पर देने के साथ ही नजदीक के 33/11 केवी सब–स्टेशन पर सूचना देवे।

प्रेस विज्ञप्ति संख्या–380/2016